रजि[redacted]. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 1981/वैशाख 14, 1903
No. 187] NEW DELHI, MONDAY MAY 4, 1981/VAISAKHA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय

आदेश

बम्बई, 5 फरवरी, 1981

का. आ. 339 (अ).—सर्वश्री मदुरा कोट्स लि. (थ्रेड ग्रुप 81 पाल्टोन रोड, बंबई-40000/की आयात नीति 80 के परिशिष्ट 3, 6, और 9 में आने वाली मदों को छोड़ कर आयात नीति 1977-78 के भाग ख, खण्ड 1 के पैरा 32 (2) और भाग ग के पैरा 106 (1) के प्रावधानों के अनुसार कच्चे माल, संघटकों उपभोज्य भण्डार और पैकिंग सामग्री का आयात करने के लिए सी-ए के मद्दे 1,37,995/-रुपये के लिए आयात लाइसेंस सं. पी/एल/2920070 दिनांक 1-1-80 प्रदान किया गया था ।

इसके पश्चात एक कारण बताओ सूचना स. 1259/9531-ए/13.9.78/ए एम-79 सितम्बर 77/आर ई पी आई बी दिनांक 14.1.81 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि वे 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम जारी किए गए उपर्युक्त लाइसेंस को अद्यतन तथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7.12.55 की कंडिका 9 (सी), 9 (सी सी) और 9 (डी) के अनुसार इस आधार पर क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए कि उक्त लाइसेंस स्वंय लाइसेंसधारी द्वारा या उसके अवप्रेरक द्वारा जाली बनाया गया है । लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की शर्तों और माल से संबंधित नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है और जिस उद्देश्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था उसे पूर्ण नहीं करेगा । यदि कोई उत्तर हो तो उसमें लाइसेंसधारी अनुलिपि प्रतियों के साथ मूल लाइसेंस को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था ।

3. कारण बताओ नोटिस के जवाब में सर्वश्री मदुरा कोट्स लि. ने अपने पत्र स. शून्य दिनांक 27-1-81 द्वारा जवाब दिया है जिसमें उन्होंने जालसाजी के आरोप को गलत बताया है । उन्होंने बताया है कि लाइसेंस सर्वश्री वी पारिख एण्ड क., कैल्वेटी कोचीन के श्री वी आर पारिख को दिया था और उन्होंने उन्हें बताया कि उसने लाइसेंस पर पृष्ठांकन स्वयं करवा लिया है और विलम्ब से बचने के लिए लाइसेंस स्वयं ही प्राप्त कर लिया है और पृष्ठांकन के बाद लाइसेंस को प्राधिकार पत्र धारी फर्म सर्वश्री कान्तिलाल मानिलाल एण्ड कं. प्रिन्सेज स्ट्रीट बम्बई को सामग्री का आयात करने के लिए दे दिया था ।

14-1-81 के कारण बताओ नोटिस के बावजूद लाइसेंस को प्रस्तुत करने की विशेष रूप से अपेक्षा होते हुए भी उन्होंने उसे प्रस्तुत नहीं किया ।

4. अग्रसारित ज्ञापन की फोटो प्रति और मेरे सामने प्रस्तुत किए गए लाइसेंस से यह देखने में आया है कि लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात से उनकी संविक्षा सील और रबड़ स्टैम्प के साथ हस्ताक्षरित करवाया जाना था । चूंकि ये सब कार्य नियंत्रक/सहायक मुख्य नियंत्रक जैसे कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए हैं । अतः इस पृष्ठांकन को सही नहीं

माना जा सकता । इसलिए, अधीहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपर्युक्त लाइसेंस सं. 2920070 दिनांक 1-1-80 स्वयं लाइसेंस धारी या उसके अवप्रेरक द्वारा जाली बनाया गया है और लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की शर्तों और माल के आयात से सम्बन्धित नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए जिस उद्देश्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था उसे पूर्ण नहीं करेगा । अतः यह सुनिश्चय करना आवश्यक है कि लाइसेंस तुरन्त ही अप्रभावी घोषित कर दिया जाता है ।

5. पूर्ण की कंडिकाओं में जो कुछ भी बताया गया है उसे ध्यान में रखते हुए अधीहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस को आदितः रद्द कर दिया जाना चाहिए अथवा अप्रभावी घोषित कर दिया जाना चाहिए । अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-55 की कंडिका 9 उपकंडिका (सी), (सी सी) और (डी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए अधीहस्ताक्षरी सर्वश्री मदुरा कोट्स लि. के नाम में जारी किए गए उपर्युक्त लाइसेंस को एतद्द्वारा रद्द करता है ।

6. यदि वे उपर्युक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की आयात व्यापार नियंत्रण अधिसूचना सं. 12/66 दिनांक 10-11-66 और अन्त में यथा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 17/76 दिनांक 20-8-76 में विशिष्टिकृत किए गए के अनुसार सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली के पास इस आदेश के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10 (2) के अन्तर्गत अपील दायर कर सकते हैं ।

व्यापार नियंत्रण क्रियाविधि पुस्तक, 1980-81 के पैरा 265 में अपील दायर करने की प्रक्रिया दी गई है ।

[सं 1259/9531-ए/एम-79/एल/आई ई. पी. आई बी सितम्बर 77]

पी. सी. एस. पीसूरलेंसर, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Export

ORDER

Bombay, the 5th February, 1981

S O. 339(E).—Licence No. P/L/2920070 dated 1-1-80 for Rs. 1,37,995 against C.A. was issued to M/s. Madura Coats Ltd. (Thread Group), 81, Palton Road, Bombay-400001 for import of Raw Materials, Components, Consumable Stores and Packing Materials in accordance with the provi ions made in para 106(1) of Part C and 32(2) of Part B Section I of Policy Book for 1977-78 minus items appearing in Appendices 3, 6. 8 and 9 of AM. 80 Policy Book.

2. Thereafter a Show Cause Notice No. 1259/9531-A/13-9-78/AM. 79/Sept. 77/REP.I.B dated 14-1-81 was issued asking them to show cause within 15 days as to why the aforesaid licence issued in their favour should not be cancelled in terms of clause 9(c) 9(cc) and 9(d) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended till date on the ground that the said licence has been forged by the licensee himself or through his abetment. The licensee has committed a breach of the conditions of the licence and the rules and regulations relating to import of goods and licence will not therefore serve the purpose for which it was issued. The licensee was also requested to produce the original licence in duplicate alongwith the reply, if any.

3. In reply to the Show Cause Notice M/s. Madura Coats Ltd. have replied by their letter No. Nil dated 27-1-81 denying the allegation of forgery. They have stated that the licence was given to one Mr. V. R. Parikh of M/s. V. Parikh and Co., Calvetty, Cochin who represented to them he had obtained the endorsement on the licence personally and collected the licence also personally to avoid the delay and that after endorsement the licence was given to the Letter of Authority holder M/s. Kantilal Manilal and Co., Princess Street, Bombay for import of materials.

The licence has not been produced before me inspite of the Show Cause Notice dated 14-1-81 requiring them specifically to produce the same.

4. From the photo copy of the forwarding memo and licence produced before me it is seen that the same was purported to be signed by Miss S. K. Grewal, Joint Chief Controller of Imports and Exports with security seal and rubber stamp. As these are functions performed by junior officers like Controller/Asstt. Chief Controller, this endorsement cannot be accepted as genuine. The undersigned therefore has come to the conclusion that the above licence No. 2920070 dated 1-1-80 has been forged by the licensee himself or through his abetment and that the licensee has committed a breach of the conditions of the licence and rules and regulations relating to import of goods and therefore the licence will not serve the purpose for which it was issued. It is therefore necessary to ensure that the licence is rendered ineffective immediately.

5. Having regard to what has been stated in the preceding paras the undersigned is satisfied that the licence in question should be cancelled ab-initio or rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, Sub-clause (c), (cc) and (d) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended till date hereby cancel the licence mentioned above issued in favour of M/s. Madura Coats Ltd.

6. In case they are not satisfied with the above decision, they may file an appeal under clause 10(2) of the Imports (Control) Order, 1955 as amended, to the competent Authority i.e. Additional Chief Controller of Imports and Exports Udyog Bhavan, New Delhi as specified in Government of India, Ministry of Commerce Imports Trade Control Notification No. 12/66 dated 10-11-66, as amended from time to time and as last amended vide Ministry of Commerce Notification No. 17/76 dated 20-8-76 within 45 days from the date of order. Paragraph 265 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure for 1980-81 lays down the procedure for filing an appeal.

[No. 1259/9531-A/AM./79/REP.I.B./Sept, 77]

P. C. S. PISSURI ENCAR, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981